न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
इजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 53 / 2021 / धारा 136 एलआरएक्ट

1 सीताराम
2 मदन लाल
3 गोपाल लाल — पुत्रगण स्व0 भगवाना उर्फ भगवानदास।
4 किशोर
5 ओमप्रकाश

जाति खटीक निवासीगण हरनाथ सिंह की ढाणी तन राणौली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

— प्रार्थीगण

व ना म

राज्य सरकार/भूमि धारक जरिये: तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

— अप्रार्थी

## आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट
## बाबत् रिकार्ड की दुरूस्ती

उपस्थिति--

1. श्री महेन्द्र कुमावत वकील वादी की ओर से।

नि र्ण य दिनांक — 17.08.2021.

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण हरनाथ सिंह की ढाणी तन राणौली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के स्थायी निवासीगण है तथा आवेदकगण की जाति ''खटीक'' है प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की माता की भी जाति बलाई के स्थान पर खटीक किया जाना अतिआवश्यक एवं न्याय संगत है एवं यही जाति व नाम समस्त रिकार्ड यानि परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान--पत्र आदि में दर्ज है। खाता संख्या 50, 51 व 221 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1434 किता एक कुल रकबा 2.5100 है0 व खसरा नं. 1435, 1437 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1800 है0 तथा खसरा नं. 1436 1438, 1439, 1440, 1441 किता 5 कुल रकबा 2.7600 है0 वाके ग्राम राणौली पटवार हल्का राणौली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थीगणों का हक, हिस्सा कब्जे, काश्त एवं खातेदारीशुदा है जिसमें आवेदकगण 1 लगायत 5 की जाति बलाई दर्ज है जबकि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की सही व वास्तविक जाति

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

"खटीक" है एवं वादीगणों की माता मन्नी देवी पत्नि स्व0 श्री भगवाना उर्फ भगवानदास का देहांत हो चुका है।. उसकी जाति भी गलत रूप से बलाई दर्ज है जबकि उसकी जाति की जगह बलाई के बजाय खटीक दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्थ किया जाना भी आवश्यक व न्यायोचित व न्याय संगत है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगणों को कई बार-बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों से निवदेन कर चुके है परन्तु कार्यवाही नहीं हुई है। सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संलग्न प्रार्थना-पत्र है एवं मुताबिक अन्य रिकार्ड प्रार्थीगणों व उनकी माता का नाम मन्नी देवी पत्नि स्व0 श्री भगवाना जाति बलाई को दुरूस्त कर सही रूप से दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वाद कारण अरसा करीब 10-12 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्थ करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण-प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 1434 किता 1 कुल रकबा 2.5100 है0 व भूमि खसरा नं. 1435, 1437 किता 2 कुल रकबा 1.1800 है0 तथा भूमि खसरा नं. 1436 1438, 1439, 1440, 1441 किता 5 कुल रकबा 2.7600 है0 वाके ग्राम राणौली पटवार हल्का राणौली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व उनकी माता मन्नीदेवी की जाति बलाई को दुरूस्त कर उसकी जगह जाति खटीक संशोधित कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व उनकी माता मन्नीदेवी की जाति बलाई को दुरूस्त कर उसकी जगह जाति खटीक संशोधित कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है राजस्व रिकार्ड मे पुराने खसरा नम्बर 793 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा में राजस्व रिकार्ड मंगला, मुरली पु. ईशरा कौम खटीक हि0 1/2 दर्ज है। नामान्तरण संख्या 204 के अनुसार मंगल व मुरली की विरासत स्वीकार

होकर भगवाना औकांर पि. मंगला हि0 1/4 व प्रेम चतरा भूरा पि. मुरली हि. 1/4 कौम. खटीक के नाम खातदारी दर्ज हुई थी। पुराने खसरा नम्बर 793 के नये खसरा नम्बर 1434 से 1441 व 1443 से 1445 बने है जिनकी वर्तमान जमाबन्दी में किशोर गोपाल मदनलाल सीताराम पि. भगवाना मुन्नीदवी पत्नि भगवाना जाति बलाई दर्ज है जबकि प्रार्थी के पुराने रिकार्ड के अनुसार जाति खटीक दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। **प्रार्थीगण का आवदेन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 1434 किता 1 कुल रकबा 2.5100 है0 व भूमि खसरा नं. 1435, 1437 किता 2 कुल रकबा 1.1800 है0 तथा भूमि खसरा नं. 1436 1438, 1439, 1440, 1441 किता 5 कुल रकबा 2.7600 है0 वाके ग्राम राणौली. पटवार हल्का राणौली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व उनकी माता मन्नीदेवी की जाति बलाई के स्थान पर प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व उनकी माता मन्नीदेवी की जाति खटीक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/8/21

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ